न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–पन्ना P/102-I-17

श्यामलाल बाजपेयी पुत्र श्री नाथूराम बाजपेयी, प्रबंधक, मंदिर श्री जानकी–रमण, मानिकपुर, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

1. राजकिशोकर पुत्र श्री जगन्नाथ तिवारी
2. रामऔतार पुत्र श्री सूरज प्रसाद
3. आनन्द कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार
4. किशोरी लाल पुत्र श्री जगन्नाथ तिवारी
5. नन्नेलाल पुत्र श्री जागेश्वर दीन
6. आशा राम पुत्र श्री हीरालाल
7. मानिक लाल पुत्र श्री दुलीचन्द्र गुप्ता
8. भागीरथ पुत्र श्री खिलईया साहू
9. राकेश कुमार पुत्र श्री रामभरोसे तिवारी
10. शिव कुमार पुत्र श्री बाबूलाल तिवारी

सभी निवासीगण – ग्राम मानिक पुर कला तहसील गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)

11. सचिव ग्राम पंचायत मानिकपुर कला वि.ख. गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)

.–– अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुनौर जिला पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अपील/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1102–एक/2017 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–06–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुनौर जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 13/अपील/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–3–2017 को अंतिम आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के तहत द्वितीय अपील का प्रावधान है। आवेदक चाहे तो द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	